पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–29.04.2016

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/16

सीआईओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह मार्च–2016 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 05 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-16	30	30	46680	46680	31	-	-

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-16	00	00	00	00	00	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-16	30	30	46680	46680	31	00	00

रेल अधिनियम के तहत माह मार्च–2016 में की गई कार्यवाही का विवरण :–

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	5326	2547037
138	14808	6062199
139	0	0
141	283	125675
142	0	0
143	2	0
144	1256	736430
145	1003	143930
146	10	8270
147	454	102400
153	1	0
154	18	68500
155	930	114275
156	252	30665
157	0	0
159	823	145950
160	7	3000
161	0	0
162	558	51055
163	0	0
164	3	400
165	0	0
166	0	0
167	35	3250
172	2	0
173	0	0
174	6	15500
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**25,777**	**1,01,58,536**

रेसुब./पमरे.में माह मार्च–2016 के दौरान किये गये अच्छे कार्यो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	मंडल	दिनांक	कार्य का ब्यौरा
1.	भोपाल	01.03.16	**भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट रेसुब. द्वारा घर से भागी हुयी लड़की को उसके परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दि.–01/03/16 को इटारसी स्टेशन पर रेसुब. उपनि. श्रीमति श्वेता सूर्यवंशी मय स्टाफ आरक्षक शक्ति सिंह, महिला आरक्षक रानू विवकर्मा को दौराने गश्त प्लेटफार्म न. 04–05 पर एक बालिका संदिग्ध अवस्था मे घूमते हुये मिली। उपनि. श्रीमति श्वेता सूर्यवंशी द्वारा बालिका को पोस्ट लाकर पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम जेबा शेख पुत्री मो. असगर शेख, उम्र 19 वर्ष, निवासी मस्जिद के पास खरबी नागपुर बताया, एवं घर से भाग कर आना बताया। उससे घर का मोबाईल नम्बर पूछा तो उसने याद होना नही बताया। बाद आरपीएफ इटारसी द्वारा कंन्ट्रोल नागपुर के माघ्यम से सिटी थाना नागपुर मे बालिका के परिजनो से सम्पर्क करने हेतु कहा गया, सिटी थाना नागपुर कंटोल रूम से सम्पर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि बालिका की गुम ुदा की रिपोर्ट नंदनवन पुलिस थाने नागपुर में दर्ज है। बाद नंदनवन पुलिस थाने नागपुर व बालिका के परिजनो को सूचित किया गया। उक्त सूचना पर बालिका की माता शमीमा शेख को इटारसी पोस्ट पर उपस्थित होने पर सुपुर्दगी नामा के तहत बालिका जेबा को उसकी माता शमीमा शेख को सुपुर्द किया। **रेसुब. के सराहनीय कार्य हेतु मुसुआ द्वारा 2000/– का सामूहिक पुरूस्कार प्रदान किया गया।**
2.	कोटा	02.03.16	**कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट रेसुब. द्वारा घर से लापता महिला को उसके परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्ः–** दिनांक 02.03.16 को भवानीमंडी पर एक व्यक्ति द्वारा सउनि श्री कालीचरण शर्मा को बताया कि एक महिला जो घर से लापता है ट्रेन नं. 18243 पर बैठी है उक्त सूचना पर सउनि श्री कालीचरण शर्मा द्वारा फोन पर कोटा पोस्ट को सूचना दी कि गाड़ी सं 18243 विलासपुर–भगत की कोठी एक्सप्रेस में अपने घर से 5–6 दिन से लापता एक महिला आ रही है जिसे कोटा स्टेशन पर उतारें। उक्त सूचना पर महिला आरक्षक जयश्री, आरक्षक राधाकृश्ण शर्मा तथा अन्य स्टाफ की सहायता से उक्त महिला को कोटा स्टेशन पर उतार कर आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया। पूछताछ करने पर अपना नाम राधा पत्नि गोविन्द उम्र 21 साल पुलिस थाना सुनेल जिला झालावाड बताया। उक्त महिला का जीजा भवानी शंकर भी पोस्ट पर आ गया। जिसने अपने मोबाइल फोन से महिला के पिता श्री छीतरलाल से बात कराई जिसने बताया कि उसकी बेटी करीबन 5–6 दिन से घर से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल पुलिस थाना सुनेल जिला झालावाड में कराई गई है। इस पर निरीक्षक कोटा पोस्ट द्वारा सुनेल थाना इंचार्ज से फोन पर बात की तो उक्त बात की पुश्टि उनके द्वारा की गई तथा सुनेल से अपने स्टाफ को रवाना करना बताया। सुनेल थाना से स्टाफ आये तथा एक लिखित तहरीर दिया जिस पर जरिये सुपुर्दगीनामा उक्त महिला को उसके परिजनों के समक्ष प्रआ मनोहर लाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया।
3.	भोपाल	03.03.16	**भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट रेसुब. द्वारा लावारिस पर्स को पर्स के मालिक को सुपुर्द करने बावत।** दिनॉक 26.01.16 को इटारसी पोस्ट के प्लेटफार्म पर रेसुब. उप निरी श्वेता सूर्यवंशी को दौराने गस्त एक पर्स लावारिस हालत में मिला। उक्त पर्स को पोस्ट पर लाकर पर्स को चेक किया गया, पर्स के अंदर से प्रवीण यादव के नाम का मूल आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, यूको बैंक एटीएम, स्टेट बैकं एटीएम, आदि प्राप्त हुये। पर्स में से एक मोबाईल नं. मिला, मोबाईल में प्रवीण यादव से संपर्क हुआ।उसके द्वारा बताया गया कि उसका पर्स इटारसी पोस्ट पर गुम हुआ था परन्तु अभी हाल वह पर्स लेने नही आ सकता। दिनॉक 03.03.16 को प्रवीण यादव पुत्र लखन यादव उम्र 20 वर्ष तह. पुनासा जिला खण्डवा म.प्र. इटारसी पोस्ट पर आये एवं उप निरी इटारसी पोस्ट द्वारा दो गवाहो की उपस्थिति में सभी प्रपत्रो के साथ पर्स को प्रवीण यादव को सुपुर्दगी नामे के तहत सुपुर्द किया गया।
4.	कोटा	04.03.16	**कोटा मंडल (शामगढ पोस्ट)–घर से भागे नाबालिग बालक को परिजनों के सुपुर्द करने बाबत्–** दिनांक 04.03.2016 को उपनिरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार साथ प्रधान आरक्षक–जनार्दन सिंह, आरक्षक–मलखान सिंह को शामगढ स्टेशन पीएफ 01 पर गस्त के दौरान एक बालक लावारिस हालत में घूमता मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अंकित नागर पिता चन्द्रप्रकाश नागर उम्र–14 साल, निवासी–राजपूत कालोनी कोटा (राज) बताया तथा बताया कि उसके हाथ से उसकी मम्मी का मोबाईल पानी में गिर जाने के कारण खराब हो गया था जिस कारण वह पिटाई से डरकर 03 दिन पहले घर से भागा है। बाद उपनिरीक्षक द्वारा बालक के द्वारा बताये मोबाईल न.9414662391 पर सम्पर्क करने पर उसके पिता श्री चन्द्रप्रका ा नागर, को सूचित किया गया। बाद बालक के पिता के रेसुब पोस्ट शामगढ़ आने पर बालक को समक्ष गवाहन सुपुर्द किया। बालक के परिजनों ने आर.पी.एफ. द्वारा किये गये कार्य की काफी सराहना की है। बल सदस्यों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये मुख्य **सुरक्षा आयुक्त/पमरे/जबलपुर द्वारा 1000/– रूपये का सामूहिक पुरस्कार स्वीकृत किया गया है।**
5.	कोटा	04.03.16	**कोटा मंडल (कोटा पोस्ट)–मोबाईल चोरी कर भाग रहे आरोपी को स्कार्ट पार्टी द्वारा पकड़ने बाबत्–** दिनांक 04.03.2016 को गाडी संख्या–12964 मेवाड एक्सप्रेस के समय–21.50 बजे माडलगढ से रवाना होने पर कोच एस–10 से एसीपी होने पर एक यात्री–अजीत खेडा उम्र 35 साल सामान्य टिकिट नं. 36527528 एक्स–उदयपुर से कोटा जो स्लीपर डिफरेन्स बनवाकर यात्रा कर रहा था, के द्वारा चोर–चोर चिल्लाने की आवाज सुनकर गाड़ी में तैनात रेसुब स्कार्ट पार्टी के आरक्षक रामचरन मीणा(कोटा पास्ट), आरक्षक–प्रेमचंद जाट(कोटा पास्ट), आरक्षक–संजय (कोटा पास्ट), एवं आरक्षक दिनेश(कोटा पास्ट), द्वारा तत्काल कोच एस/10 को अटेंड कर मोबाईल चारी कर भाग रहे एक व्यक्ति को पकडा। पूछताछ करने पर अपना नाम–सलीम पुत्र महमुद्दीन उम्र 42

			साल निवासी–पुलिस लाईन चौराहा गली नं. 102 अजमेर राजस्थन बताया एवं उक्त के कब्जे से सैमसंग कम्पनी एक मोबाईल मिला (नंबर 9314218292) मिला। पकड़े गये उक्त आरोपी को लिखित तहरीर के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी कोटा को सुपुर्द किया गया। जीआरपी कोटा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। **बल सदस्यों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये मुख्य सुरक्षा आयुक्त/पमरे/जबलपुर द्वारा 1000/– रूपये का सामूहिक पुरस्कार स्वीकृत किया गया है।**
6.	भोपाल	05.03.16	**भोपाल मंडल (इटारसी पोस्ट)–लावारिश बालक को जीवोदय संस्था इटारसी के सुपुर्द करने बाबत्–** दिनॉक 05.03.2016 को सउनि हरगोविन्द व प्रआ मुकुंन्द पटेल दौराने गस्त इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी संख्या 59386 के सामान्य कोच पर एक बच्चे की रोने बिलखने की आवाज सुनायी देने पर कोच को अटैण्ड किया गया तो एक बच्चा नाम–आकाश साहेबराव पुत्र टिट्टू साहेबराव पवार उम्र 10 साल निवासी शैलू थाना बनेर जिला वर्धा महा. को लावारिस हालत में पाया गया। बाद सउनि हरगोविंददास एवं प्र.आर. मुकुन्द पटेल द्वारा मौका कार्यवाही कर बालक को जीवोदय संस्था इटारसी को समक्ष गवाहन सुपुर्दनामा के तहत अग्रिम सरक्षण कार्यवाही वास्ते सुपर्द किया गया।
7.	भोपाल	05.03.16	**भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट)–मोबाईल चोरी कर भाग रहे आरोपी को स्कार्ट पार्टी द्वारा पकड़ने बाबत्–** दिनांक 05/03/16 को प्लोटफार्म डियूटी पर तैनात आरक्षक देवेन्द्र चक्रवती एक रूमाल में बंद कुछ वजनी सामान पडा हुआ दिखायी देने पर आस–पास पता करने पर उस पर किसी ने अपना मालिकाना हक नही बताया बाद समक्ष गवाहान उस रूमाल को खोले जाने पर उसमे कुल 15000/– रूपये नगद, 01 आधार कार्ड, एक डायरी मिली जिस पर सम्पर्क करने पर व्यक्ति द्वारा अपना–नाम संजीव कुमार शर्मा पिता– श्री प्रेमनारायण शर्मा उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम–इमलिया पोस्ट–राजापुर, जिला–झॉसी उ0प्र0 एवं मोबा.नं.–9452945871 बताया तथा उक्त सामान उसके द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म कमांक–02 पर गुम हो जाना बताया। बाद आरक्षक देवन्द्र चक्रवर्ती के द्वारा मामलें की पूर्ण सूचना उपनिरी. अजीत सिंह/भोपाल पोस्ट को अवगत कराया। बाद उपनिरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति के भोपाल पोस्ट पर उपस्थित होने पर मौका कार्यवाही एवं समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया। अतः उक्त आरक्षक द्वारा अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया गया है।
8.	मुख्यालय	07.03.16	**:(यात्री सुरक्षा हेतु विशेष चैकिंग अभियान और कार्यवाही)** दिनांक 06.03.2015 एवं 07.03.16 को मुख्यालय अपराध खुफिया शाखा में कार्यरत उप निरीक्षक सरिता बघेल, हमराह स्टाफ के साथ जबलपुर से इटारसी एवं जबलपुर से कटनी स्टेशन के मध्य यात्री सामान की चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु औचक रूप से विशेष चैकिंग की गई। जिसके दौरान ट्रेनों मे अवैध रूप से 22 अनाधिकृत व्यक्तियों को खाद्य सामग्री बेचते हुए एवं 09 व्यक्तियों को न्यूसेंस करते हुये पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही हेतु कटनी पोस्ट, पिपरिया पोस्ट एवं इटारसी पोस्ट को सुपुर्द किया गया। उक्त दल में सउनि. श्री सी.एस. मुडिया प्रधान आरक्षक जे.के.पाण्डेय, सुनील सिंह बघेल, आरक्षक लोकेश पटेल, संदीप तिवारी, विनोद यादव व महिला आरक्षक सीता कुरील, वंदना जायसवाल सम्मिलित थी।
9.	कोटा	08.03.16	**कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट रेसुब. द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को जीआरपी के सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 08.03.2016 को रेसुब. ई0कम्पनी कोटा की सुरक्षा पार्टी सउनि. महाराजसिंह द्वारा कोटा पोस्ट पर सूचना दी गई कि गाडी सं. 12951 राजधानी एक्स. गाडी के कोच सं. बी/5 बर्थ 8 पर महिला के साथ छेडछाड की घटना हुई है। उक्त गाड़ी को कोटा में रेसुब. उनि योगेन्द्र कुमार शर्मा मय स्टाफ एवं जीआरपी कोटा द्वारा अटेण्ड किया गया है। रेसुब. ई0कम्पनी कोटा की सुरक्षा पार्टी सउनि महाराज सिंह मय स्टॉफ मौजूद मिले। महिला से पूछताछ करने पर महिला यात्री ने अपना नाम–रायलाखॅान पत्नि इम्तियाज कुरै ी उम्र 29 साल रंगमहल दरियागंज नई दिल्ली– जो कि पीएनआर नं. 853–2626650 एक्स–मुम्बई सैन्ट्रल से नई दिल्ली की यात्रा कर कही थी। महिला ने बताया कि रात्रि समय करीबन 03.00 बजे उक्त कोच के बर्थ नं. 17 पर यात्रा कर रहे यात्री द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ कि गई है, एस्कार्ट पार्टी तुरन्त मौके पर आये, छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को उक्त महिला की लिखित ि ाकायत पर पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम–सुनील पुत्र सुद ंन उम्र 40 साल पंजाबी सूरत (गुजरात) पीएनआर 853–2624768 एक्स–सूरत से नई दिल्ली बताया। एस्कार्ट पार्टी द्वारा लिखित तहरीर तथा टीटीई के मैमो के साथ पकड़े व्यक्ति को जीआरपी है.का. हीरालाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। मामले मे जीआरपी थाना कोटा द्व प्र.सं. 73/16 धारा 354 भा.द.सं दिनाक 08.03.16 कायम कर जॉच में लिया गया ।
10.	कोटा	08.03.16	**कोटा मण्डल/सवाई माधोपुर पोस्ट रेसुब. द्वारा बैग चोरी करने वाले व्यक्ति को जीआरपी के सुपुर्द करने बावत्:–** दिनांक 08.03.2016 को रे.सु.ब. पोस्ट सवाई माधोपुर पर प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक मनीषा के पास आकर एक व्यक्ति ने बताया कि वह गाड़ी सं. 12956 जयपुर मुम्बई एक्सप्रेस के एस–7 कोच में यात्रा कर रहा था तथा सवाई माधोपुर स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के दौरान पानी लेने उतरा तथा पानी लेकर वापस गया तो उसका बैग नहीं मिला। महिला आरक्षक द्वारा यात्री से पूछताछ करने पर अपना नाम रधूवीर पुत्र गाड़ाराम उम्र 27 वर्ष जिला जयपुर (राज) बताया। तुरंत महिला आरक्षक द्वारा उक्त यात्री को अपने साथ लेकर बैग की तलाशी शुरू कर दी, एफओबी के ऊपर तलाश किया तो एक व्यक्ति एक बैग में से कुछ सामान को निकाल कर कुछ तलाश कर रहा था जो देख कर भागने लगा जिसे महिला आरक्षक द्वारा दौड़कर पकड़ा तथा उक्त बैग के बारें में पूछा तो बैग गाड़ी सं. 12956 से चोरी करना बताया तथा उक्त शिकायत कर्ता द्वारा भी बैग को पहचाना तथा बैग चोरी करने वाले व्यक्ति को रेसुब पोस्ट सवाई माधोपुर लेकर आई तथा उप निरीक्षक सुनीता जाट द्वारा बैग चुराने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धनीराम पुत्र शिवचरण उम्र 29 साल बताया तथा बैग को खोल कर देखा तो उक्त बैग में सामान की पूर्ति की गई। रेसुब.उप.निरीक्षक सुनीता जाट द्वारा आरोपी को जीआरपी सवाई माधोपुर

			को सुपुर्द किया। जीआरपी सवाई माधोपुर द्वारा आरोपी के विरूद्व कार्यवाही कर अ.क्र. 19/2016 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. दिनांक 08.03.2016 कायम कर मामला जांच में लिया।
11.	भोपाल	09.03.16	<u>(भोपाल मण्डल/हरदा आउट पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग की बरामदगी के संबंध में</u> दिनांक 09.03.2016 को सिक्यूरिटी हेल्प लाईन रेलवे बोर्ड नई दिल्ली द्वारा भोपाल मण्डल के हरदा आउट पोस्ट को सूचना प्राप्त हुई कि शिकायतकर्ता मनोज चौरे मो.नं. 8875021002 गाड़ी सं. 17019 अजमेर–हैदराबाद एक्स. के कोच नं. बी–2 बर्थ नं. 37,38 में यात्रा के दौरान बर्थ में काले रंग का बैग छूट गया है। उक्त सूचना पर रेसुब. हरदा आउट पोस्ट के प्र.आर.मकसूद अली एवं आरक्षक प्रमोद पटेल द्वारा गाडी संख्या 17019 अजमेर–हैदराबाद एक्स. गाड़ी को हरदा स्टे ान पर समय 10.14 बजे आने पर अटेण्ड किया गया। उक्त गाड़ी के कोच नं. बी–2 बर्थ नं. 37,38 को अटैण्ड किया तो उक्त बर्थ पर एक काले रंग का बैग टंगा हुआ था। उक्त बैग के संबंध में कोच में बैठे यात्रियों से पूछताछ किया तो किसी भी यात्री ने उक्त बैग को अपना होना नहीं बताया। बाद उक्त बैग को हरदा स्टे ान पर उतारकर आउट पोस्ट पर लेकर आये, रेसुब. द्वारा यात्री मनोज चौरे को मोबाईल नं. 8875021002 पर संपर्क करने पर यात्री ने बताया कि वह मेरा बैग है जिसमें लेपटाप व अन्य डाकुमेन्ट रखे हैं। मै अभी इटारसी में हूॅ एवं उक्त बैग को कल दिनांक 10.03.2016 को हरदा पहुंचकर अपना बैग प्राप्त करूंगा।
12.	भोपाल	11.03.16	<u>भोपाल मण्डल (इटारसी पोस्ट)–रेसुब. द्वारा घर से भागे हुये बालक को जीवोदय संस्था को सुपुर्द करने बावत्:–</u> दिनांक 11.3.2016 को इटारसी पोस्ट के रेसुब. उपनिरीक्षक विजय सिह एवं प्र.आर. मुकुंद पटेल को दौराने गस्त प्लेटफार्म न. 01 पर एक लड़का उम्र लगभग 12 वर्ष घुमता दिखाई दिया जो इधर उधर देख रहा था। जिससे पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम कासिम पुत्र दिलशाद उर्फ मुन्ना निवासी–क्वारसी अलीगढ़ उ.प्र. बताया तथा बताया कि उसके पापा ने उसे डांट फटकार दिया था इस कारण गुस्से मे भागकर आ गया बाद उपनिरीक्षक द्वारा बालक द्वारा बताये गये पते पर संबंधित थाना को नेट पर सर्च कर मो.न. 9454402790 पर संपर्क कर सूचित किया गया। बच्चे के परिजनों से संपर्क ना होने पर उपनिरीक्षक द्वारा उक्त बालक को जीवोदय संस्था को सुपुर्द किया गया।
13.	कोटा	11.03.16	<u>कोटा मण्डल (कोटा पोस्ट)–रेसुब. द्वारा घर से भागे हुये बालक को कोटा चाईल्ड लाईन केयर को सुपुर्द करने बावत्।</u> दिनांक 11.03.2016 को कोटा पोस्ट के रेसुब.उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार शर्मा को दौराने गस्त गाडी नंबर 12926 अप पश्चिम एक्सप्रेस के कोटा स्टेशन आगमन पर कोच एस/8 पर एक बालक दिखाई दिया। जिस पर संदेह होने पर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम इमरान खान पुत्र मोहम्मद सलीम खान उम्र 13 वर्ष निवासी बी 83 गाजीपुर दिल्ली बताया तथा बताया कि मॉ के द्वारा पढाई के लिए उसे डाटा गया था जिससे गुस्सा होकर घर से भाग आया। बाद उपनिरीक्षक द्वारा बालक द्वारा दिये गये मो.नं.–9643553050 पर बालक के परिजन को सूचित किया गया तथा उक्त बालक को समक्ष गवाहन सुपुर्दगीनामा पर चाईल्ड लाईन केयर कोटा के श्री भूपेन्द्र सिहं को सुपुर्द किया गया।
14.	कोटा	11.03.16	<u>कोटा मंडल (शामगढ़ पोस्ट)– तेज बुखार के कारण बेहोश हुये बालक को रेसुब द्वारा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्–</u> दिनॉक 10.03.2016 को गाडी संख्या–19037 अवध एक्सप्रेस के कोच नंबर–एस–1 यात्री संतोश सिंह अपनी पत्नी एवं 05 साल के बालक के साथ सूरत से गौंडा की यात्रा कर रहे थे कि उनके पॉच वर्षीय बालक–रूद्र को अचानक तेज बुखार आ जाने के कारण वह बेहोश हो गया। गाड़ी के समय 12.30 बजे शामगढ़ स्टेशन आने पर उक्त यात्री, अपने बालक को लेकर स्टेशन पर उतर गया। बालक के माता–पिता के द्वारा 108 एम्बूलेंस को सूचना दी गई परंतु एम्बुलेंस नही आयी। उक्त जानकारी रेल सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार को मिलने पर उपनिरीक्षक द्वारा तत्परता दिखाते हुये बालक को अस्पताल पहुॅचाकर उसका इलाज करवाया गया। डॉक्टर राकेश पाटीदार के द्वारा बताया गया कि सही समय पर अस्पताल में भर्ती कराये जाने के कारण समय पर चिकित्सीय इलाज मिलने से बच्चे के स्वास्थ में सुधार हो पाना संभव हुआ है। उक्त बालक के पिता श्री संतोष सिंह ने रेल सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक द्वारा की गई मदद के प्रति काफी आभार व्यक्त किया गया है। रेल सुरक्षा बल द्वारा किये गये सराहनीय कार्य को दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा भी काफी सराहा गया है।
15.	भोपाल	12.03.16	<u>भोपाल मण्डल (इटारसी पोस्ट)– रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को उसके परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्:–</u> दिनांक 12.03.16 को इटारसी पोस्ट के रेसुब. उपनिरीक्षक जयभारत को दौराने गस्त प्लेटफार्म न. 01 पर एक बालिका उम्र करीबन 07 वर्ष रोते हुए दिखाई दी गयी, बालिका को रेसुब. द्वारा इटारसी पोस्ट लाया गया। उपनिरीक्षक जयभारत द्वारा पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम खुशी उर्फ पुल्लु, पुत्री श्री महेन्द्र, रेलवे स्टेशन खण्डवा बताया। उक्त बालिका द्वारा परिवारजनो की जानकारी प्राप्त न होने पर बालिका की देखभाल वास्ते प्लेटफार्म न. 01 पर जीवोदय संस्था से संपर्क किया गया। जीवोदय संस्था की नाज पुत्री इमरान खान इटारसी पोस्ट आयी। जिसको डिप्टी एस एस इटारसी में रखे रजिस्टर मे डिप्टी एस एस रजनीश द्वारा इन्ट्री कर बालिका को अपने साथ जीवोदय संस्था ले गयी। उक्त बालिका के पिता नाम महेन्द्र पुत्र मायाराम उम्र 35 वर्ष, पत्नी सहित, निवासी अहमदपुर जिला खण्डवा इटारसी पोस्ट पर आये व अपनी खोयी हुई बच्ची का नाम बताया जिस पर जीवोदय संस्था से बात की गयी संस्था के कर्मचारी त्रिलोक मनमारे उक्त बालिका को लेकर आये, बालिका ने अपने माता पिता को पहचान लिया। उक्त बालिका को उसके परिवारजनो को सुपुर्दगी नामा के तहत सुपुर्द किया गया ।

16	भोपाल	13.03.16	**भोपाल मण्डल (भोपाल पोस्ट)– रेसुब. द्वारा बीमार महिला को अस्तपताल पहुँचाने बावत्।** दिनांक 13.03.2016 को भोपाल स्टेशन के रेसुब. सउनि आर.के. बौरासी को दौराने गस्त प्लेटफार्म नं. 02 पर एक महिला दिखाई दी गई। जिसका स्वास्थ्य खराब था। सउनि आर.के. बौरासी द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम–लता पत्नी जय किशन उम्र 35 वर्ष निवासी शिवाजी नगर पुणे बताया। उक्त महिला का स्थास्थ्य अधिक खराब होने पर रेसुब. सउनि आर.के. बौरासी द्वारा उक्त महिला एवं साथ 04 माह की बच्ची को तुरंत उपचार के लिये हमीदिया अस्पताल भोपाल भेजा गया व उक्त महिला का सामान पार्सल कार्यालय में जमा कराया गया। उपचार उपरांत स्वस्थ्य होकर वापस आयी महिला को उसका सामान सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया।
17.	कोटा	14.03.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट)/रेसुब. द्वारा मोबाइल चोर को पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द करने बावत्।)** दिनांक 14.03.2016 को रेसुब. कोटा पोस्ट के प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह मीणा तथा आरक्षक गोखलेश शर्मा कोटा स्टेशन पर रेलवे एक्ट रेड एवं अपराध की रोकथाम डियूटी पर तैनात थे। समय करीबन 07.19 बजे बीना कोटा पैसेंजर कोटा स्टेशन के प्लेटफार्म नं 4 पर आई तो एक व्यक्ति भागता हुआ नजर आया। उसके पीछे एक यात्री चोर चोर चिल्ला रहा था। रेसुब के दोनों बल सदस्यों ने काफी दूर तक दौड़ कर पीछा करते हुए मोबाइल लेकर भागने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। पीछे आ रहे यात्री ने अपना नाम चंदन सिंह पुत्र बालमुकुन्द ,जिला रायसेन, मध्यप्रदेश बताया तथा बताया कि यह व्यक्ति उसकी पेण्ट की जेब से मोबाइल लेकर भाग रहा था। रेसुब. द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जाकिर हुसैन पुत्र श्री मम्मू खान उम्र 26 साल, रेलवे कालोनी कोटा बताया। रेल सुरक्षा बल पोस्ट कोटा के प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह मीणा तथा आरक्षक गोखलेश शर्मा उस पकड़े हुए व्यक्ति को मय चुराये गये मोबाइल फोन तथा यात्री को लेकर जीआरपी थाना कोटा जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कियां। जिस पर जीआरपी थाना कोटा द्वारा उक्त आरोपी के विरूद्व अपराध संख्या 80/2016 धारा 379 भादसं दिनांक 14.03.2016 कायम कर आरोपी को गिरफतार किया।
18.	कोटा	15.03.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा भटकी हुयी महिला को कोटा नारी शाला को सुपुर्द करने बावत्।** दिनॉक 15.03.2016 को कोटा रेल्वे स्टेशन पर दौराने गस्त रेसुब. सउनि. बीरबल सिंह के पास एक महिला आयी। महिला ने बताया कि वह भटक गयी है, एवं रास्ते से अनभिज्ञ है। नासिक जाने को कह रही थी। रेसुब.कोटा पोस्ट की महिला आरक्षको द्वारा उक्त महिला को कोटा पोस्ट लाया गया, बाद पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्राची पाटील पुत्री श्री भास्कर पाटील उम्र–27 वर्ष, वन बिहार कालोनी, नासिक बताया साथ ही उसने बताया कि नासिक से भटक कर मंगला एक्सप्रेस में बैठकर किसी रास्ते से कोटा पहुँची। महिला द्वारा दिये गये मो. न. 9538958947 पर रेसुब. द्वारा संपर्क करने पर महिला की माता मालती से संपर्क हुआ। रेसुब. कोटा पोस्ट के सउनि. बीरबल सिंह द्वारा एक आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान एसडीएम साहब कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान उप खण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा जब तक प्राची पाटील के माता–पिता या परिवार के कोई सदस्य इसे लेने नही आते इसे नारी शाला में रखने की स्वीकृति दी गई।
19.	भोपाल	16.03.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा घर से भागकर आये बालक को उसके परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्:–** दिनांक 16.03.16 को इटारसी पोस्ट के रेसुब. स.उप.निरीक्षक कमल सिंह यादव को दौराने गस्त इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म नं. 04 पर एक लड़का अकेला घूमता दिखाई दिया। रेसुब. स.उप.निरीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आकाश कौरव पुत्र, श्री दिनेश कौरव, उम्र 15 वर्ष, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. बताया, एवं बताया कि घर से डाट पड़ने के कारण नाराज होकर घर से भागकर आना बताया, रेसुब. के स.उप.निरीक्षक कमल सिंह यादव ने बालक द्वारा दिये गये मो.नं.–9425467715 पर बालक के पिता से संपर्क हुआ। उक्त बालक के पिता श्री दिनेश कौरव इटारसी पोस्ट आये एवं समक्ष गवाहन सुपुर्दगीनामा के तहत बालक को परिजनो को सुपुर्द किया गया।
20.	कोटा	16.03.16	**(कोटा मण्डल/बारा पोस्ट) रेसुब. द्वारा तीन पत्ती गिरोह को दबिश देकर पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 05.03.16 को गाड़ी सं.13424 अजमेर–भागलपुर एक्सप्रेस के सामान्य कोच मे कुछ बदमाशो द्वारा तास के पत्तो पर रूपयो का दाव लगाकर यात्रियो से पैसे छीन कर लूटपाट की घटना की गई थी। जिस पर जीआरपी थाना कोटा मे अज्ञात बदमाशो के विरूद्ध अपराध कमांक 81/2016 अन्तर्गत धारा 395 भा.द.सं. दिनांक 15.03.16 को दर्ज कर मामला जॉच मे लिया गया। घटना पर रे.सु.ब पोस्ट बारां पर विशेष घटना रिपोर्ट 01/2016 दिनांक 15.03.16 कायम किया गया। आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 15/16.03.16 को कोटा मण्डल/बारा पोस्ट के रेसुब. निरीक्षक जसराम गुर्जर, उप निरीक्षक अनिल कुमार मय स्टाफ के साथ एवं जीआरपी थाना कोटा के मय स्टाफ के साथ संयुक्त टीम बनाकर तीन पत्ती गिरोह के संदिग्ध आरोपियो पर अंता क्षेत्र मे जाकर दबिश दिया। दबिश के दौरान आरोपी 01. बबलू पुत्र धन्नालाल मेहरा उम्र 23वर्श, थाना अटरू जिला बारां, 02. मो.सलीम पुत्र बुन्दु खॉन उम्र 35 वर्श, सालपुरा थाना कवाई जिला बारां राजस्थान, 03. मो इनायत पुत्र बुन्दु खॉन उम्र 20 वर्ष, अंता थाना, अंता जिला, बारां राजस्थान को पकड़कर जीआरपी थाना कोटा लाया गया, जहां जीआरपी थाना कोटा मे दर्ज अपराध कमांक 81/2016 U/S 395 IPC दिनांक 15.03.16 मे दिनांक 16.03.16 को भाामिल कर गिरफ्तार किया गया। भोश अन्य 02 आरोपी अभी फरार है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
21.	भोपाल	17.03.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट)रेसुब. द्वारा घर से भागी हुयी बालिका को चायल्ड हेल्प लाईन को सुपुर्द करने बावत्:–**दिनांक 17.03.2016 को भोपाल स्टेशन पीएफ नं. 01 पर दौराने गस्त उपनिरीक्षक राजपतीराम एवं आरक्षक गोपाल को एक लावारिस बालिका दिखाई दी। दौराने पूछताछ उक्त बालिका ने अपना नाम अश्विनी बंडोले, पुत्री

			श्री राजेन्द्र बंडोले, उम्र 16 वर्ष, थाना सालकेसा जिला गोंदिया महाराष्ट्र का होना बताया,एवं बताया कि मां से डाट पड़ने पर गुस्से में घर से बिना बताये भागकर आई है। उसने अपने मित्र का नाम अनिल वर्मा माबाईल नं. 9888826092 बताया। उक्त मोबाइल के माध्यम से उसके माता–पिता को सूचित किया गया। बाद माता–पिता के आगमन तक सुरक्षित रखने हेतु उक्त बालिका को चायल्ड हेल्प लाईन टी.टी.नगर थाना परिसर जिला भोपाल को सुपुर्द किया गया।
22.	भोपाल	20.03.16	<u>**(भोपाल मण्डल/ इटारसी पोस्ट) के रेसुब. द्वारा स्टे ान पर सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाये जाने बावत्ः–**</u> दिनांक 19.03.2016 को भोपाल मण्डल/इटारसी स्टेशन पर स्वच्छता जागरुकता रैली समय 11:00 बजे से 12:00 बजे तक निकाली गई। जिसमें जीवोदय संस्था इटारसी के द्वारा एवं साथ इटारसी पोस्ट के रेसुब.उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी साथ आरक्षक जितेंद्र वर्मा, महिला आरक्षक रानू वि वकर्मा, एवं प्रतिमा दमाड़े तथा जीआरपी स्टाफ को लेकर प्लेटफार्म नं. 01 से 07 तक सभी प्लेटफार्म, रेल परिसर, पार्सल कार्यालय पर स्वच्छता जागरुकता रैली निकाली गयी, एवं रेल परिसर, प्लेटफार्मों की सफाई की गयी। रेसुब. द्वारा स्वच्छता संबंधी जानकारियो को यात्रियो तक पहुँचाया गया। जिसमें रेल्वे स्टेशन इटारसी पर स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के तहत स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों को कैप वितरण किया गया। कैप में जीवोदय संस्था रेल सुरक्षा बल, जी.आर.पी. का मोनो बना हुआ था।
23.	कोटा	21.03.16	<u>**(कोटा मण्डल/बारा पोस्ट) रेसुब. द्वारा चोर को पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द करने बावत्।**</u> दिनांक 21.03.2016 को बारा पोस्ट के रेसुब/छबड़ा/सउनि कमलसिंह मय स्टाफ प्र.आर. विनोद कुमार, आर., जयप्रकाश मीणा को दौरान गश्त गाडी सं. 12182 दयोदया एक्स. को चैक करने के दौरान एक व्यक्ति को गाडी के जनरल कोच से संदिग्ध अवस्था मे कूदते देखा। जिसे पकड़कर सउनि कमलसिंह द्वारा आरोपी की तलाशी करने पर उसके पास एक पर्स मिला जिसमें 1500 रुपयें नगदी, 01 पहचान पत्र, 01 टेलीफोन डायरी, 01 यात्रा टिकट न 08690781 छबडा से कटनी का मिला। पकडे हुए उक्त व्यक्ति ने पर्स को एक यात्री की जेब से चोरी करना बताया। सउनि कमलसिंह द्वारा आरोपी को पोस्ट पर लाया गया। सउनि कमलसिंह द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम साहिद पुत्र नूरमोहम्मद उम्र–30 वर्ष छबडा थाना, छबडा जिला बारा, (राज.) बताया। रेसुब. द्वारा पर्स में मोबाइल न. 9754088175 से यात्री को फोन पर संपर्क करने पर यात्री ने अपना नाम राजेश कुमार साहू ,पुत्र गया प्रसाद साहू, उम्र 28 थाना सरई जिला सिगंरोली (म.प्र.) बताया व पर्स का चोरी होना बताया। यात्री के वापिस छबड़ा आकर पहचान किया। बाद पकडे हुए उक्त आरोपी को कोटा लाकर मय लिखित तहरीर व चोरी शुदा सामान के साथ जी.आर.पी थाना कोटा मे सुपुर्द किया जिस पर जी.आर.पी थाना कोटा द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध कमांक–86/2016 अर्न्तगत धारा–379 भा.द.स दि–21.03.16 में कायम कर मामला जाचॅ में लिया।
24	कोटा	21.03.16	<u>**..(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल महिला को उपचार करवाने के संबंध में।**</u> दिनांक 21.03.16 को कोटा पोस्ट के रेसुब. आरक्षक महेन्द्र कुमार मीणा प्लेटफार्म डियूटी पर समय 16.00 से 24.00 बजे की शिफ्ट में तैनात थे। प्लेटफार्म पर स्थित सामान्य प्रतीक्षालय में एक महिला यात्री अनीता बाई ,पत्नि शिवशंकर उम्र 55 वर्ष, निवासी भीमगंजमंडी कोटा, का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बैंच पर से बैठे बैठे नीचे जमीन पर गिर गई जिसके कारण उसके सिर में चोट लगी तथा खून बहने लगा। आरक्षक ने उक्त महिला के घायल होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला आरक्षक जयश्री को बुलाया तथा 108 एम्बूलेंस को कॉल कर बुलाया तथा इस बीच घायल महिला को प्रथमोपचार दिया गया। बाद उक्त महिला को महिला आरक्षक जयश्री के साथ ले जाकर शासकीय एम बी एस अस्पताल में मरहम पट्टी करवा कर भर्ती करवाया
25	कोटा	21.03.16	<u>**(कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा चोर को पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द करने बावत्।**</u> दिनांक 21.03.2016 को भरतपुर के रेसुब. सउनि सुग्रीव सिंह साथ आरक्षक देवीचरन व आरक्षक अजीत द्वारा दौराने गस्त समय करीबन 02.10 बजें गाड़ी सं. 19020 देहरादून एक्सप्रेस, भरतपुर प्लेटफार्म नं. 03 को अटैण्ड किया गया। ट्रेन के पीछे के सामान्य कोच से यात्रियों के चिल्लाने की आवाज आने पर रेसुब. स्टाफ तुरन्त उक्त कोच पर पहुॅचे, तो यात्री श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र स्व. श्री रेवती प्रसाद, उम्र–31 साल, थाना–उच्चैन जिला–भरतपुर (मो. 9540929016 टिकिट नं. 3887271 दिल्ली से भरतपुर) ने बताया कि तीन आदमियों ने मेरी जेब से जबरदस्ती हाथापाई कर 15000/–रूपये छीन लिये है,। रेसुब.द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये, कोच को दोनों तरफ से घेरकर मौके पर दो आरोपियों को पकड़ा गया, मौके पर यात्रियों द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों की तलाशी दिलवाने पर 11000/–रूपये उनकी दोनों की जेब से बरामद हुए, रेसुब. सउनि सुग्रीव सिंह द्वारा दोनों व्यक्तियों को पकड़कर थाने लाया गया व पुछताछ दौरान उन्होने अपना नाम (1.) दर्शन सिंह पुत्र सोनेलाल साल उम्र–36 थाना–विधूना, जिला–औरेया (उ.प्र.) एवं (2.) आजाद पुत्र नजीर उम्र–40, जिला–औरया (उ.प्र.) बताया। रेसुब.द्वारा जीआरपी थाना भरतपुर में आरक्षक विश्वेन्द्र सिंह को फोन द्वारा सूचना दी गई। जीआरपी/भरतपुर के रेसुब पोस्ट पर आने पर दोनों मुलजिम एवं 11000/–रूपये, मय फरियादी के एक लिखित तहरीर देकर सुपुर्द किया गया। फरियादी की लिखित शिकायत पर जीआरपी थाना भरतपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 32/2016 धारा 382, 34 भादसं दिनांक 21.03.2016 कायम कर मामला जांच में लिया गया।
26.	जबलपुर	23.03.16	<u>**(जबलपुर मण्डल/सागर पोस्ट) 182 हेल्प लाइन के माध्यम से रेसुब द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सोपने बावत्।**</u> दिनांक 23.03.16 को वैभव जैन द्वारा 182 हेल्प लाइन में सूचना दी गई, कि सागर पोस्ट के टिकट खिड़की के पास मेरा एक लाल रंग का बैग छूट गया है। सागर पोस्ट के रेसुब. आरक्षक दौलत द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टिकट खिड़की के पास एक लाल रंग का बैग लावारिस हालत में दिखाई दिया। उक्त बैग को रेसुब. आरक्षक

			दौलत द्वारा पोस्ट पर लाया गया। एवं वैभव जैन मो.8085813998 को संपर्क कर अवगत कराया गया कि आपका बैग मिल गया है एवं सागर पोस्ट पर रखा हुआ है। सागर पोस्ट पर आकर बैग की सुपुर्दगी प्राप्त करे।
27	जबलपुर	26.03.16	**(जबलपुर मण्डल / कटनी पोस्ट) रेसुब द्वारा खोये हुए बैग को उसके मालिक को सोपने बावत्:–** दिनांक 26.03.16 को सुबह 03.30 बजे यात्री राके l(टिकिट नं0 71524573) द्वारा मो0 नं0– 7389583439 से सूचना दी गई की उनका सामान गाड़ी सं0 51754 मे झुकेही स्टेशन पर छूट गया है। उक्त सूचना उ0नि0 आर.पी. गर्ग के माध्यम से प्राप्त होने पर रे0सु0ब0 स्टाफ झुकेही प्र0आ0 कमलेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए झुकेही स्टेशन पर सर्च कर उक्त यात्री का बैग खोज निकाला जिसे उन्होने स्टेशन मास्टर कार्यालय मे सुपुर्द कर यात्री को उक्त मोबाइल न. पर अवगत कराया गया कि आपका बैग मिल गया है एवं झुकेही स्टेशन मास्टर के कार्यालय में आकर बैग की सुपुर्दगी प्राप्त करे।
28	कोटा	26.03.16	**(कोटा मण्डल / कोटा पोस्ट) रेसुब द्वारा लावारिस बैग को उसके मालिक को सोपने बावत्।** दिनांक 26.3.16 को कोटा पोस्ट के रेसुब. स.उ.नि बीरबल सिह द्वारा गाड़ी सं 12956 अप को चैक करने पर एक लावारिस बैग मिला जिसमे, दैनिक उपयोग की वस्तुओ के साथ साथ 02 पर्स जिसमे कुल 1682/– रू नकद मिले जिसका पंचनामा बनाया, बाद पर्स मे मिले मोबाइल नं 09636730511 पर रेसुब. स.उ.नि बीरबल सिह द्वारा संपर्क करने पर श्री हेमन्त शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा झोटवाडा, जिला जयपुर ने उक्त बैग को अपना होना बताया एवं बताया कि जयपुर से मुंबई का वेटिंग टिकट होन के तथा अत्यधिक भीड होने के कारण एस–3 मे चढ़ गये और टीटी द्वारा बर्थ खाली नही होने की जानकारी पर यात्रा रदद कर ट्रेन से उतरते समय उक्त बैग जयपुर मे गाड़ी मे ही रह जाना बताया, हेमन्त शर्मा के बताये अनुसार उनका बैग कोटा निवासी उनके रिश्तेदार जावेदपोस्ट पर आये एवं रेसुब. द्वारा बैग को सुपुर्द किया गया
29	जबलपुर	28.03.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा चोरी हुये लेपटॉप को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 28.03.16 को आदित्य माथुर के द्वारा जबलपुर पोस्ट पर फोन पर सूचना दी गई कि ट्रेन नं. 11471ए एवं पीएनआर नं. 8245895521 पर यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान मेरा लेपटॉप चोरी हो गया है। उक्त सूचना पर जबलपुर पोस्ट के सउनि एस.के.मिश्रा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गाड़ी को अटेण्ड किया गया। यात्री अपने बर्थ पर नहीं मिला बाद अन्य यात्रियों से पूछताछ किये तो बर्थ 41–45 के बीच मे एक लेपटाप लावारिस हालत मे मिला यात्री आदित्य को फोन नं0 9630753757 पर संपर्क कर उसे जबलपुर पोस्ट बुलाया गया और आदित्य माथुर को रेसुब जबलपुर द्वारा लेपटॉप सुपुर्द किया गया।
30	कोटा	28.03.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस मोबाइल को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 28.03.16 को श्रीमति सरोज सोनी द्वारा कोटा पोस्ट पर सूचना दी गई कि कोटा स्टेशन पीएफ–2 के लेडिज वेटिग रूम में एक मोबाईल नोकिया क्स–2 चार्जिग में लगा था,जो कि मेरे द्वारा भूलवश छूट गया है। उक्त सूचना पर कोटा पोस्ट के प्र.आर. देवेन्द्र सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वेटिंग रूम को अटैण्ड किया गया, एवं उक्त मोबाईल मिलने पर कोटा पोस्ट पर लेकर आये। बाद रेसुब. द्वारा उक्त महिला यात्री को फोन नं.7062329947 पर संपर्क करने पर महिला यात्री के पति ओम प्रकाश सोनी मोबाईल नं. 9929289802 से संपर्क हुआ। ओम प्रकाश सोनी के कोटा पोस्ट पर आने पर उनि.योगेन्द्र शर्मा द्वारा मोबाईल को सही हालत में सुपुर्द किया गया।
31	जबलपुर	29.03.16	**(जबलपुर मण्डल/सागर पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करने बावत्।** दिनांक 29.03.16 को जबलपुर मण्डल/सागर पोस्ट के अंतर्गत पथरिया स्टेशन मैं ड्यूटी पर तैनात रेसुब. आरक्षक नरेन्द्र सिंह, को गाड़ी सं. 18235 भोपाल बिलासपुर पैसेन्जर पीएफ नं. 02 में समय 14.35 बजे आई और समय 14.39 बजे आगे की ओर रवाना हुई। गाड़ी के रवाना होने के दौरान एक व्यक्ति आफ साइड से गाड़ी में चढ़ते समय नीचे गिर गया और उक्त गाड़ी के चपेट में आ गया। जिससे उक्त व्यक्ति का दाहिना पैर जांघ के पास से कट कर घायल हो गया। घायल व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम जीवन पटेल पिता विशाल पटेल उम्र 30 साल थाना पथरिया जिला दमोह म.प्र. बताया। रेसुब. आरक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलाकर इलाज हेतु भाासकीय चिकित्सालय पथरिया भेजा गया। प्रथमोचार के उपरांत उसे जिला चिकित्सालय दमोह रेफर किया गया है।
32	जबलपुर	30.03.16	**(जबलपुर मण्डल/सतना पोस्ट) रेसुब द्वारा आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को बचाने के संबंध में।** दिनांक 30.03.16 को सतना पोस्ट/जैतवारा स्टेशन में अपराध की रोकथाम के लिये हाल्टिंग ड्यूटी पर तैनात रेसुब. प्रआर. एस.एन.सिंह एवं प्रआर. अवधेश प्रसाद द्विवेदी को एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के सामने लेटकर आत्म हत्या करने की कोशिश कर रहा था, दोनों रेसुब स्टाफ दौड़कर वहॉ पहुॅचे एवं उक्त लेटे हुये व्यक्ति को खीचकर बाहर निकाला गया। उक्त व्यक्ति को रेसुब पोस्ट सतना लेकर आये एवं मानसिंक रूप से सान्त्वना दी गई। रेसुब द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संदीप सिंह बघेल पिता प्रमोद सिंह बघेल उम्र 32 निवासी मतहा पोस्ट रामबन थाना रामपुर बघेलान जिला सतना का होना बताया। रेसुब. द्वारा जीवन रक्षा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया गया।
33	भोपाल	30.03.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट)रेसुब द्वारा लावारिस बालक को चाइल्ड लाइन केयर को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 30.3.2016 को भोपाल स्टेशन के सउनि चन्दन सिंह को गस्त के दौरान प्लेटफार्म न. 02 पर समय करीबन 21:25 बजे एक बालक लावारिस हालत मे घूमता हुआ दिखाई दिया। रेसुब. द्वारा बालक को पोस्ट पर लाया गया। सउनि चन्दन सिंह द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम मुजीब पुत्र, सेफान अली, उम्र 16 वर्ष, जिला बंदायु, उ.प्र. बताया, एवं बताया कि 3–4 दिन पहले अपने घर से गुस्सा होकर भाग आया हॅू और रास्ता भूल गया हॅू मोबाईल न. याद नही है। बाद सउनि चन्दन सिंह द्वारा भोपाल चाइल्ड लाइन केयर के कर्मचारी को फोन कर बुलाया गया व लिखित पत्र के साथ चाइल्ड लाइन केयर को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया।

			रेसुब द्वारा किया गया कार्य उनकी कार्य की सतर्कता को दर्शाता है।
34	कोटा	30.03.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट)रेसुब द्वारा लावारिस मोबाईल को मालिक को सौपने बावत्।** दिनांक 30.03.2016 को गाड़ी सं. 12963 मेवाड़ एक्स की अनुरक्षण पार्टी कोटा से चित्तोढ़गड़ सुरक्षा करते हुए जा रहे थे, गाड़ी के बुन्दी स्टैशन से रवाना होने के बाद आउट पोस्ट बुन्दी पर तैनात आरक्षक जितेन्द्र मीना ने सु.पार्टी को नोट कराया कि यात्री गौरव पाठक पीएनआर नं. 2316583511 एक्स निजामुदीन से बुन्दी कोच नं. एस/3 बर्थ नं. 56 पर एप्पल कम्पनी का कीमती मोबा., नं. 9460545964 कीमत 42000/– रह गया है। रेसुब सुरक्षा पार्टी को सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर उक्त कोच की बर्थ को चैक किया तो मोबाइल नही मिला बाद सु.पार्टी नें अपनी सूझबूझ से उक्त मोबाइल पर रिंग करते हुए रिंग जाने पर अन्य कोचो को चैक किया तो कोच नं.एस–01 की बर्थ–7 के नीचे पोलीथीन की थैली मे लिपटा मिला जिसकी सूचना बुन्दी में उतरे उक्त यात्री को दी गई। बाद यात्री को समय 13.00 बजे चित्तौढगढ बुलाकर सुपुर्दगीनामा के तहत पूर्ण शिनाख्त होने पर सही हालत में यात्री को मोबाइल सुपुर्द किया गया। रेसुब द्वारा किये गये कार्य पर यात्री द्वारा पूर्ण आभार प्रकट किया गया।
35	कोटा	31.03.16	**(कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट)रेसुब द्वारा लावारिस बालक को उसके परिवारजनो को सौपने बावत्।** दिनांक 31.03.2016 को कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट के रेसुब. आरक्षक मनोजपाल सिंह को समय करीबन 00.05 बजे भरतपुर स्टेशन मुसाफिर खाना में एक लड़का लावारिस अवस्था में बैठा दिखाई दिया। रेसुब. आरक्षक मनोजपाल सिंह द्वारा बालक को पोस्ट पर लाया गया। पोस्ट पर सउनि यतेन्द्र सिंह द्वारा बालक से, पूछताछ के दौरान बालक ने अपना नाम–हिमांशु पुत्र विनोद अग्रवाल उम्र–16 साल निवासी–सुभाश नगर, भरतपुर बताया एवं बताया कि घर में माता पिता द्वारा पढ़ाई के लिये डाटने पर रूठ कर घर से भाग कर आया है। बालक द्वारा दिये गये फोन नं. 9694654182 में रेसुब द्वारा संपर्क करने पर बालक के पिता से संपर्क कर सूचना दी गई। सउनि यतेन्द्र सिंह द्वारा बालक को समझाया गया एवं बालक के माता पिता के पोस्ट पर आने पर सुपुर्दगीनामा के तहत बालक को उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। सउनि यतेन्द्र सिंह एवं आरक्षक मनोजपाल सिंह द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

*****